>

Title: Shri Hansraj G. Ahir called the attention of the Minister of Water Resources to the situation arising out of fall in the level of ground water, resulting in scarcity of water in the country particularly in rural areas and steps taken by the Government in this regard.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें।

"भूजल स्तर में गिरावट आने तथा इसके फलस्वरूप देश में विशेषकर ग्रामीण

क्षेत्रों में जल का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा

इस संबंध में उठाए गए कदम"

MR. SPEAKER: The statement can be laid on the Table of the House.

* Laid on Table and also placed in Library, See No, LT 7554/2007

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य श्री हंसरीज जी. अहीर द्वारा भूजल के स्तर में गिरावट से उत्पन्न होने वाली स्थिति के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :-[s2]

केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य के भूमि जल संगठनों द्वारा वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन का 433 बीसीएम (बीलियन घनमीटर) के रूप में संयुक्त आकलन किया गया है, जिसमें से निवल भूजल उपलब्धता (उपयोग के लिए) 399 बीसीएम आंकी गई है। कुल वार्षिक भूजल निकासी (ड्राफ्तट) 231 बीसीएम है। देश के भूंजल विकास की समग्र स्थिति 58 प्रतिशत है।

उपरोक्त आकलन के आधार पर 5723 गत्यात्मक भूजल संसाधन आकलन यूनिटों (ब्लाक/ मंडल/ तालुका) में से 839 यूनिटों को अतिदोहित 226 को "गंभीर " और 550 को "अर्द्ध-गंभीर " के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। "अतिदोहित " क्षेत्र जहां पर वार्षिक भूजल निकासी वार्षिक पुनर्भरणी संसाधन से अधिक होती है, वे मुख्यतः आध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित हैं।

पेयजल में गिरते भूजल स्तर/ भूजल के अंधाधुंध उपयोग से बड़ी संख्या में रिहायशी बस्तियां पूर्ण सुविधा से "आंशिक सुविधा " और "सुविधा नहीं " की स्थिति में वापस आ गई हैं। अतः पेयजल आपूर्ति विभाग ने राज्यों को पेयजल का स्थायित्व सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम " (ए आर डब्ल्यू एस पी) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के माध्यम से राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार मार्च, 2009 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जल गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान करते हुए सभी अपूर्ण, सुविधा से वंचित रिहायशी बस्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना चाहती है।

जल राज्य का विषय होने के कारण यह संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे संबंधित राज्यों में गिरते भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करें और सभी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करें। तथापि, देश में भूजल स्तर के सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं -

विनियामक उपायः--

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन और भूजल विकास के विनियमन के लिए देश में 43 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित करना तथा भूजल निकासी संरचनाओं के पंजीकरण के लिए विभिन्न राज्यों में 65 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित करना।

इसके अतिरिक्त भूजल निकासी संरचनाओं के पंजीकरण की अधिसूचना के लिए 746 अतिदोहित क्षेत्र प्रक्रियाधीन हैं।

- केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी अतिदोहित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने/ वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के सभी उपाय करने और भवन उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल किये जाने को सुनिश्चित करने के बारे में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को परामर्श दिया गया है।

- केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जहां भूजल स्तर भूमि सतह से 8 मीटर नीचे है वहां वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थानों, होटलों, उद्योगों, फार्म हाउसों के अधिसूचित क्षेत्र में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के निर्देश जारी किये हैं।

- जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को "भूजल के विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण " के लिए एक "माडल बिल " परिचालित किया है। अब तक 10 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल कानून का अधिनियमन किया है। 19 अन्य राज्यों में भी अधिनियमन की प्रक्रिया चल रही है।

संवर्धन उपाय -

- विभिन्न दावाधारकों के बीच अनुभवों की भागीदारी करने और कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद " का गठन।

- सलाहकार परिषद की सिफारिशों के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय ने लोगों की भागीदारी के माध्यम से भूजल संवर्धन की नवीन पद्धतियों को अपनाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओएस)/ ग्राम पंचायतों/ शहरी स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने के लिए भूमिजल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किए हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा सितंबर, 2007 में वर्ष 2007 के लिए ये पुरस्कार दिये गये।

- "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की मास्टर योजना " तैयार करना जिसमें देश में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की आवश्यकता वाले कुल 4.5 लाख वर्ग कि. मी. क्षेत्र की पहचान की गई है।

- 6 राज्यों में अति-दोहित / गंभीर/ अर्द्ध-गंभीर क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए "खुदे कुओं " के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है।

- केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल/ गाइड का परिचालन करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट की प्रवृत्ति की जांच करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

- 9 वीं योजना में "भूजल के पुनर्भरण का अध्ययन "संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में 165 प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना। इन परियोजनाओं के माध्यम से जल संचयन और पुनर्भरण प्रौद्योगिकियाँ विकसित की गई हैं।

- उपयुक्त पुनर्भरण संरचनाओं की पहचान करने तथा भूजल को उपयोग में लाने के लिए सही स्थानों का पता लगाने के लिए पुनर्भरण व्यवहार्यता मानचित्र तैयार करना।

- सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि की भागीदारी सहित पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा मई, 2007 में पेयजल आपूर्ति स्कीमों की सततता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन।

- पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा "ग्रामीण् पेयजल स्कीमों की सततता लाना " शीर्षक से तैयार किया गया एक दस्तावेज माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अगस्त, 2007 में जारी किया गया और सभी राज्यों को परिचालित किया गया।

- ग्यारहवीं योजना के दौरान केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से 75 कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययनों का कार्यान्वयन।

- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड विभिन्न अभिकरणों यथा- । राज्य सरकार अभिकरणों, शैक्षिक संस्थाओं, रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएसनों, गुप हाउसिंग सोसाइटियों, निजी उद्यमियों और लोगों को वर्षा जल संचयन पर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। देश के विभिन्न भागों में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण पर जनजागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

- शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) ने इस बात को अनिवार्य करते हुए कि दिल्ली में 100 वर्ग मीटर और इससे अधिक के भूखण्डों पर बने सभी नए भवनों में भूजल जलभृतों में वर्षा जल अपवाह भंडारित करने के माध्यम से जल संचयन की व्यवस्था हो, भवन उप-नियमावली 1983 में संशोधन किया है। इसी प्रकार, कुछ अन्य राज्यों/ संघ क्षेत्रों ने भी छत के वर्षा संचयन को अनिवार्य किया है।

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी अगला विश्व युद्ध होगा, वह पानी के लिये होगा। मनुष्य के लिये पानी बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन सब से महत्वपूर्ण है। आज देश में करीब-करीब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की भंयकर समस्या बनी हुई है। शहरी क्षेत्रों में करीब 60 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत जल आपूर्ति भूजल से की जा रही है। इस कारण भूमिगत जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। एक सर्वे के अनुसार 1980 की तुलना में भूमिगत जल स्तर 5 से 6 मीटर तक नीचे गिर गया है। विश्व बैंक ने एक सर्वे किया और विश्व बैंक के सलाहकार सम्माननीय श्री जॉन ब्रिस्को ने भारत को चेताया है कि आने वाले दिनों में उन्होंने जो रिसर्च की है - India's Water Economy: Bracing for a Turbulent Future. इस विषय पर उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें कुछ देशों का नाम लिखा था। उसमें भारत का नाम भी है कि इन देशों में पीने के पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाले 15 वर्षों में आएगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनके जवाब में ऐसा नहीं दिखता कि उद्योगों को बाध्य किया जाएगा कि भूमिगत जल का उपयोग न करें। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारत देश में जिस तरीके से अनेक गांवों में पीने के पानी के लिए जनता त्रस्त है और उन्हें पीने का पानी आज जिस तरीके से मिल रहा है, उन्हें आसानी से पानी मिले, इसके लिए सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र में दो प्रकार की भूमि है। कुछ क्षेत्रों में फॉरैस्ट एरिया है और कुछ क्षेत्रों में फॉरैस्ट नहीं है। जहां पर फॉरैस्ट कम हैं, वहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा वहां से भूमिगत जल का उपयोग बड़े बड़े ट्यूबवैल या बड़े बड़े कुँए बनाकर किया जा रहा है। पानी लिफ्ट करने से उसकी धारा बहुत ज्यादा होती है जिससे बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। अनेक ऐसे उद्योग हैं जहां सीमैन्ट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है या शीत पेय की इंडस्ट्री है। केरला में कोका कोला ने जिस तरह से भूमिगत जल का उपयोग किया है, उसके कारण वहां बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे हैं। वहां पर किसानों के कुँए और ट्यूबवैल सूख गए हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री द्वारा भूमिगत पानी लिफ्ट किया जा रहा है, उससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश में नदियों की कमी नहीं है। हमारा देश नदियों का देश कहा जाता है लेकिन इन नदियों का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। जहां पानी बेकार बह रहा है, उसे रोकने में हम असफल हुए हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आपका जो मंत्रालय है, इन नदियों के जल को बांध और बड़ी परियोजनाएं बनाकर रोकने से हम पूरे देश में भूमिगत जल स्तर ऊँचा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब हम मंत्री महोदय को पत्र लिखते हैं कि यहां पर कोई सिंचाई परियोजना बनाइए जिससे सिंचाई के लिए भी पानी होगा और वाटर लैवल भी ऊँचा आ सकता है तो जवाब यह आता है कि वहां फॉरैस्ट कंज़र्वेशन एक्ट आड़े आ रहा है। उसके बहाने से जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई परियोजनाओं को नहीं लेता है। इन सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से भूमिगत जल स्तर ऊँचा हो सकता है और बहुत से गांवों में पीने के पानी की समस्या का हल हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहां पर हर गांव में, हर खेत में कुँए हैं, ट्यूबवैल हैं, पानी के लिए लोग वाटर लिफ्टिंग करते हैं। आने वाले समय में और भी कुँए बनाने पड़ेंगे, ट्यूबवैल बनेंगे। हम किस तरह से वाटर लैवल उठा सकते हैं, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। इस देश में जितनी नदियां बह रही हैं, उन सबका पानी जगह जगह पर रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इससे सिंचाई में भी मदद मिलेगी और पीने के पानी की समस्या का भी हल होगा। जिस प्रकार इंडस्ट्री वाले वाटर लिफ्ट करते हैं, उसको रोकने के लिए कानून बनाएँ। हम देखते हैं कि यहां जो सीमेन्ट इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने अपने एरिया में 200 ट्यूबवैल तक बनाए हैं जिनकी गहराई 250-300 मीटर तक है। इस कारण से पूरे गांवों के कुँए और ट्यूबवैल सूख गए हैं। यह समस्या इंडस्ट्री की वजह से भी आ रही है और इसको रोकने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाएं ऐसी विनती मैं करता हूँ। देश में आने वाले समय में पीने के पानी के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, उससे देश को बचाने के लिए देश में जितने भी जल संसाधन हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। [h3]इसके लिए हम क्या कानून बनाने जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा है कि पीने के पानी का विषय राज्यों का है और यह उनकी जिम्मेदारी है। मंत्री जी, जिस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसे इस हेतु कानून बनाने चाहिए और राज्यों को निर्देश देने चाहिए।

MR. SPEAKER: Hon. Members, in the meeting of the Hon. Leaders at the beginning of this Session, I had said that I would strictly follow the rules and only on important occasions I would exercise my authority. This is one of the matters which I feel very important. Therefore, I am allowing four other hon. Members who have taken the trouble of giving notice this morning before 10 o' clock.

Now, Shri Rewati Raman Singh. Please put only two or three questions.

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं श्री हंसराज गं. अहीर जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाने का काम किया है। आज जैसा इन्होंने कहा कि यदि थर्ड वर्ल्ड वार होगी, तो पानी के लिए होगी, यह सही है। आप इस बात से अवगत हैं कि पहले हर गांव में चार या पांच तालाब होते थे, लेकिन धीरे-धीरे, आबादी जैसे-जैसे बढ़ी, वैसे-वैसे वे तालाब खत्म होते चले गए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी, ज्यादातर तालाबों पर अभी-भी लोगों का कब्जा है और उसके कारण तालाब खत्म होते जा रहे हैं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने, अपने पिछले साल के बजट भाषण में, जब उन्होंने वित्त विधेयक पेश किया था, बजट पेश किया था, तो उन्होंने बजट में तालाबों के लिए अलग से धन देने का प्रावधान किया था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पैसा उन्होंने तालाबों के लिए एलोकेट किया, वह काम कहीं दिखाई नहीं देता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि वह पैसा कहां गया, कितने तालाब खोदे गए और कहां खोदे गए, इस बात से क्या वे सदन को अवगत कराएं?

मान्यवर, आज पानी इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसकी खपत बढ़ने के कारण किसी-किसी क्षेत्र में तो भूमिगत पानी का जलस्तर 20-20 और 30-30 मीटर नीचे चला गया है। इससे यह हो गया है कि गर्मी में देश के बहुत बड़े भू-भाग में पीने का पानी टैंकरों से भेजना पड़ता है, क्योंकि वहां पीने के पानी को भूमि के नीचे से निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पानी का दोहन इतनी तेजी से हो रहा है कि जगह-जगह हैंड पम्प लग रहे हैं और ट्यूबवैल भी बोर हो रहे हैं। हर प्रकार से पानी का दोहन हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पानी का जो दोहन इस प्रकार से हो रहा है, उसे रोका जा सके? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए तालाब से अच्छी कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती है।

मान्यवर, जहां तक मुझे याद है, आपने इस सदन में शहरों के लिए वर्षा के पानी की हार्वेस्टिंग और जल की रीचार्जिंग के लिए एक स्कीम की घोषणा की थी, लेकिन जहां हम लोग रहते हैं, वहां ऐसी कोई स्कीम हमें देखने को नहीं मिली। अब पता नहीं आपके बंगले में है कि नहीं या और मंत्रियों के बंगलों में है कि नहीं, लेकिन हम लोगों के बंगलों में और मकानों में तथा और भी अन्य शहरों में वर्षा जल की हार्वेस्टिंग और जल की रीचार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट से एक एक्ट पास किया जाए, जिसके अनुसार शहर से लेकर गांवों तक पानी के रीचार्जिंग की व्यवस्था कैसे ज्यादा से ज्यादा की जा सके, इसका प्रयास किया जाए। गांवों में जिन लोगों ने तालाबों पर कब्जे कर रखे हैं, उनसे तत्काल कब्जे हटाकर उन्हें खाली कराया जाए। तभी हम आने वाले समय में आबादी को पानी दे सकेंगे।

मान्यवर, एक खतरा और पैदा हो गया है। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि भूस्तर का पानी पॉल्यूटेड हो गया है। खेती में हमने जो केमीकल फर्टीलाइजर और पैस्टीसाइड्स यूज किए हैं, उनकी वजह से भूतल का पानी भी पॉल्यूटेड हो गया है। हमारी जितनी नदियां हैं, वे सब पॉल्यूटेड हो गई हैं। यह सरकार बार-बार कहती है कि नदियों को साफ करने के लिए हम बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वह कार्यवाही कहां हो रही है? इसका मुझे आज तक पता नहीं लगा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि वे केवल बयान न दें, केवल धन की व्यवस्था न करें, बल्कि इस बात की व्यवस्था कराएं कि भू-जल और नदियों का जल स्वच्छ रहे और जल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, आपने नियमों में शिथिलता बरतते हुए मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जल ही जीवन है। भारत कृषि प्रधान देश है। इसलिए कृषि के लिए भी और प्राणी मात्र के लिए भी जल अत्यन्त आवश्यक है। राजस्थान राज्य में कई वर्षों से वर्षा में कमी के कारण जल संग्रहण बिलकुल नहीं हो पा रहा है, जो थोड़ा बहुत भू जल था, उसका स्तर भी नीचे चला गया है। इसके परिणास्वरूप हमारे यहां बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है।

महोदय, मैं समझता हूं कि जल का दोहन तो बहुत हुआ है, लेकिन धरती का जितना पोषण, चाहे वनों को लगाकर, वनस्पति लगाकर, जल संग्रहण करके, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाकर, वॉटर शेड बनाकर अथवा कृषि की उन्नत पद्धतियों के माध्यम से, जिनमें फव्वारा पद्धति है, ड्रिप सिस्टम से, इस्राइली पद्धति से कम पानी के द्वारा कैसे अधिक फसलें पैदा की जाए, इन सारी बातों की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया है। इससे जल का दोहन निरन्तर होता रहा, परिणामस्वरूप जल स्तर बहुत नीचे तक चला गया।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकांश पंचायती क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। इससे किसानों को लोन मिलना बंद हो गया है। इसके अलावा जो पुराने कुएं, जहां पानी ठीक था, वहां थोड़ी और खुदाई करने पर हमें और अच्छा पानी मिल सकता था, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। नये कुएं खुदने की बात तो अलग, पुराने कुओं पर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जल संग्रहण, जल के समुचित वितरण, धरती के पोषण और जल के दोहन को रोकने के लिए क्या आप नदियों को जोड़ने की जो योजना है, जहां एक तरफ बाढ़ है तो एक तरफ सूखा है, एक तरफ प्लैन्टी आफ वॉटर, एक तरफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर को देखते हुए बहुलता से न्यूनता की ओर ले जाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, इसकी जानकारी सदन को देने की कृपा करें। इसके अलावा जो डार्क एरिया घोषित किए गए हैं, उनके लिए सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि ऐसे एरिया में जो कुएं हैं, जिनसे एक-आध फसल की बुआई की जा सकती है, उन कुंओं को गहरा करने की आज्ञा दी जाए ताकि थोड़ी बहुत फसलें हो सकें, अन्यथा वहां अन्नाभाव पैदा हो जाएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि भू-गर्भ जल स्तर कम होने की समस्या से निबटने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है ताकि धरती का पोषण भी हो सके और पेयजल संकट का समाधान भी हो सके। जल संग्रहण योजनाओं की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, इन मसले को रोकने की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, उन योजनाओं को रोजगार गारंटी के नाम पर बंद किया जा रहा है। यदि वॉटर शेड कार्यक्रम नहीं होगा, सोइल कन्ज़र्वेशन नहीं होगा और कुंओं को गहरा कराने पर पाबंदी लगा देंगे तो फिर जल का संग्रहण कैसे होगा?

महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में जब पंचवर्षीय योजनाएं बनी थीं, उस समय बड़े-बड़े बांधों का निर्माण किया गया था। हीराकुंड बांध, भाखड़ा-नांगल बांध, दामोदर घाटी योजना बनी थीं। लेकिन आज सारा देश महसूस कर रहा है कि बड़े-बड़े बांधों के स्थान पर छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध हो सके और कम पानी से ज्यादा फसल ली जा सके। इस संबंध में सरकार क्या योजना बना रही है? यदि सरकार की इस संबंध में कोई योजना है तो उसे सदन के सामने प्रस्तुत करने का कष्ट करें।[r4]

MR. SPEAKER: I will be ready to give a full-fledged discussion on this.

Now, Shri Shailendra Kumar.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में निर्धारित होने के बावजूद भी

कि इस पर दूसरा तीसरा क्वश्चन नहीं होगा, लेकिन आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को महत्व देते हुए सम्मानित सदस्यों को जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और जिन सम्मानित सदस्यों ने, माननीय अहीर जी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये हैं, रेवती रमण सिंह जी और रासा सिंह रावत जी ने जो बातें यहां पर रखीं, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, यह बात सत्य है कि आज ग्रामीण स्तर पर हमारे चाहे पेयजल के नलकूप हों या सिंचाई करने वाले नलकूप हों या पेयजल से सम्बन्धित जो हैंडपम्प हैं, उनमें वाटर स्ट्रेटा इतना नीचे गिर गया है कि सब पानी छोड़ गये हैं। जब हम लोग विभाग को, जल निगम या सिंचाई विभाग से कहते हैं तो वे कहते हैं कि वाटर स्ट्रेटा डाउन होता जा रहा है, इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए आप पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

दूसरी बात, जो गांवों में तालाब हैं, वे ज्यादातर पट गये हैं, उन पर इतना एन्क्रोचमेंट हुए हैं कि भू-माफिया ने तालाबों को बेचकर उस पर मकान बनवा लिये हैं। इसमें मैं आपसे चाहूंगा कि इसके लिए कारगर कदम उठायें। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो ताबाल एन्क्रोच हो गये हैं, उनको तत्काल खाली कराया जाये और उनका उत्खनन कराया जाये, तभी जाकर गांवों के तालाबों में पानी आयेगा, तभी हमें इससे निपटारा मिल सकता है।

तीसरी बात, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियों की बात तो अलग है, उनको जोड़ने की परियोजना चल रही है, वह इसमें बहुत अच्छा कारगर कदम होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटी-छोटी नदियां हैं, उन पर धन उपलब्ध कराकर चैक डैम बनवायें और एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर पर अगर चैक डैम बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से पानी रुकेगा और ओवरफ्लो होकर बाहर चला जायेगा और बाकी पानी रुकेगा। उससे वाटर स्ट्रेटा भी मेनटेन रहेगा और तमाम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सिंचाई एवं नहाने-धोने और पशु-पक्षियों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

अभी रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि बहुत बड़े-बड़े बंगले हैं, बहुत बड़े-बड़े सरकारी जो अधिष्ठान हैं, वहां पर जो वाटर रीचार्जिंग सिस्टम है, बोर करके जो वेस्टेज या बरसात का पानी है, उसको जमीन के अन्दर पाताल में डाला जाये, जिससे वाटर स्ट्रेटा ऊपर आ जाये, इसके लिए भी कोई कारगर कदम उठायें।

इन सारी बातों के अलावा मैं, अध्यक्ष जी, आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

MR. SPEAKER: I am sure you would be happy that Parliament Complex has rain water storage facilities, apart from Speaker's official residence. I believe Dr. Kathiria has also done it in his residence. I am sure the Government should render all help in this matter.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will call you. You will be the first person.

Now, Shri B. Mahtab.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Depletion of ground water has reached an alarming proportion. I have two queries to ask. One is whether the Government is thinking of restricting the use of ground water, especially for industrial use. As water is the State subject, whether any attempt is being made by the Government to convince the State Governments to restrict the use of ground water specifically for industrial use.

As we have seen and in the Statement also the Minister has mentioned that there are some critical areas, over-exploited areas and accordingly around 50 per cent of the blocks and Talukas are covered under this critical area. I would like to understand whether the Government has given any suggestion to the State Governments to restrict the depth of the tube-wells to a given level, say, 200 metres, 300 metres or 500 metres so that the upper reach of the ground water can be utilized and it should not go below a certain level.

Another problem to which I would like to draw the attention of the Minister, through you, is the salinity that is creeping in most of the coastal States.[m5]Orissa is facing it. Bengal has it. Andhra Pradesh and a great stretch of Tamil Nadu also have that. Salinity creeping in because of overuse of groundwater for agricultural purposes and other industrial purposes. As we have a specific zone that is demarcated that within 500 metres from the coastline no construction can take place, similarly whether the Government is thinking of bringing a law so that you can restrict the use of groundwater from a distance from the coast so that you can stop salinity creeping in into the main land? Thank you, Sir. ...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : डिस्कशन का पूरा मौका देंगे, लेकिन इसके लिए आप नोटिस दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, एक अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया और चर्चा में यह बात सामने उभरकर आयी कि अंडरग्राउंड वाटर यानी भूजल का हम बेहतर सदुपयोग करें। इसका दुरूपयोग न हो। देश में जो आकलन हुआ, उसके मुताबिक 5723 यूनिट (ब्लाक/ताल्लुक/ मंडल) में से 839 अति दोहित क्षेत्र हैं, उनमें से 226 को गंभीर माना गया है और 550 को अर्द्धगंभीर श्रेणी में रखा गया है। अतिदोहित क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आते हैं। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया है कि जो हमारे अतिदोहित क्षेत्र हैं, जहां जल का अतिदोहन हो रहा है, वहां हमें व्यापक रूप से जागरूकता पैदा करनी चाहिए और इस ख्याल से एक मॉडल बिल भी बनाने का काम किया गया और इसे 10 राज्यों में कार्यान्वित किया गया।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : महोदय, यह सब स्टेटमेंट दिया हुआ है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए, यह क्या हो रहा है?

â€¦(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : अगर आप संतुष्ट हैं, तो कोई बात नहीं। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : You should encourage your colleagues also.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदय, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, गोवा, केरल ...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, चंड़ीगढ़ आदि हैं। मॉडल बिल अधिनियम 10 राज्यों में कार्यान्वित किया गया और 19 राज्यों में मॉडल बिल की तर्ज पर कानून बनाने की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। कानून की आवश्यकता नहीं समझने वाले राज्यों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे 6 राज्य हैं। ...(व्यवधान) जिन राज्यों ने लागू न करने को कहा है उनमें नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश और पंजाब हैं। मॉडल बिल के आधार पर कार्यवाही आगे चल रही है। जल राज्य का विषय है। हमें राज्य का सहयोग लेकर उसे आगे बढ़ाना है, इस आधार पर कि कैसे हम पानी का बेहतर बचाव कर सकें, कैसे इसका बेहतर प्रबंधन कर सकें, कैसे भूजल को सुरक्षित रख सकें? आज यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महराष्ट्र, दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में भूजल स्तर गिरता जा रहा है और यह नीचे जा रहा है। माननीय सदस्यों ने ठीक ही सवाल उठाया कि जो हमारे पुराने वाटर बॉडीज थे, जो जमीदारी बांध थे, जो पौंड्स या तालाब थे, जिनका रख-रखाव हमारे पुरखे करते थे, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितिजन्य आधुनिकीकरण में हमने चीजों को नहीं समझा और तालाब या पौंड्स को भरते गए। इसके कारण बहुत बड़ी परेशानी हुयी और आज यह परिस्थिति पैदा हो गयी कि तालाब भर गए हैं। हमें वाटर बॉडीज का पुनरोद्धार करना है, उन्हें पुनर्जीवित करना है, हमें लिफ्ट इरीगेशन को महत्व देना है और हमें नदियों में चेक डैम बनाकर पानी को रोकने का काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दसवीं योजना में वाटर बॉडीज के पुनरोद्धार के लिए 3 सौ करोड़ रूपए का प्रावधान किया था। [p6]उसका प्रावधान करके हमने पॉड्स और तालाबों के पुनरोद्धार का काम किया है। उसे बढ़ाएंगे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत जिसमें दस हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, दसवीं योजना के तहत 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, 180 करोड़ रुपये रिलीज़ किए गए हैं, 1098 जलाशयों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है कि हम वाटर बडिज़ का पुनरूद्धार करना चाहते हैं और वे उसकी समेकित रूप से रिपोर्ट दें। कई राज्यों से लिखित रूप से रिपोर्ट मांगी गई है। इस बारे में कई बार चर्चा हुई है, लेकिन कुछ राज्यों से रिपोर्ट मिली है और कुछ राज्यों से नहीं मिली है। जब राज्य सरकारें रिपोर्ट भेज देंगी तो नदी और तालाब के लिए जो राशि आवंटित की गई है, उसके आधार पर उसका पुनरुद्धार और पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। इसके लिए बेहतर से बेहतर कदम उठाए गए हैं।

माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि औद्योगिक परिस्थिति पैदा होने के कारण जल स्तर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है जिसके कारण परेशानी होती है। शहरीकरण हो रहा है, औद्योगीकरण हो रहा है, जनसंख्या का भार बढ़ रहा है, उसके कारण यह परेशानी है। बहुत सी इंडस्ट्रीज उन इलाकों में लग रही हैं जहां पानी का लेवल कम है। सरकार ने इस बारे में ख्याल किया है कि उन इलाकों में उद्योग लगने चाहिए जहां पानी की अधिकता हो। इफ्रास्ट्रक्चर सहज ही बन जाता है, लेकिन उन इलाकों में जहां पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, उद्योग लगने से वहां का जल स्तर और गिर जाता है।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: These interruptions will not be recorded.

(Interruptions) â€¦*

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Why do you trouble?

...(*Interruptions*)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, समेकित रूप से सब राज्यों को कहा गया है। इस सदन में किसी एक राज्य को इंगित करके बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन जब माननीय सदस्य बार-बार उठकर अपनी बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से अपनी बात कह देनी चाहिए। वाटर बाडीज के लिए केन्द्र सरकार, स्वयं हमने पत्राचार किया है। मेरे पास डौक्यूमैंट है और मैं उसे आपको दे दूंगा। जो माननीय सदस्य बार-बार खड़े हो रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए, संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और केन्द्र और राज्य के संवैधानिक दायित्व का निर्वाह होना चाहिए। इसीलिए मैं इन बातों की चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो मैं और खुलासा करके यहां पत्र रख दूंगा।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Do not get diverted by them.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, आप बोलते रहिए।

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, nothing will be recorded.

*(Interruptions) *â€¦*

MR. SPEAKER: You please address the Chair.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: No interruption will be recorded.

(Interruptions) â€¦*

* Not recorded

MR. SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair.

...(*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, एक सैकिंड हमारी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: No, sorry. These days there is no such system.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप चुप रहिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : महोदय, इस सदन में अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आपने कहा कि सदन सार्वभौम है, इसलिए इस बारे में व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए। सब माननीय सदस्यों ने इसकी प्रशंसा की।...(व्यवधान) मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस चर्चा के माध्यम से नतीजा सामने आ रहा है कि केन्द्र सरकार ने क्या किया और राज्यों की क्या जिम्मेदारी है, उसका निर्वाह जरूरी है। इसलिए यदि उन बातों को फिर से दोहराएंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मुझे बिहार राज्य में सिर्फ जमुई एवं नालंदा से रिपोर्ट मिली है, और बिहार में कहीं से आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सदन में इन बातों को कहने से अपने को रोक नहीं पाया। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इसके लिए माफ करेंगे । लेकिन जहां तक हमारा कार्यक्रम है कि कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ायें। माननीय सदस्यों ने आज वाटर बॉडीज के जल स्तर का यहां पर सवाल उठाया है। हम कैसे वाटरशेड मैनेजमैंट के माध्यम से, आर्टिफिशियल रिचार्ज के माध्यम से हम पानी की लेयर को ऊपर लाने का काम करें?
इसके लिए लगातार वाटरशेड मैनेजमैंट, जो वर्षा जल संचयन है, रूफ वाटर के लिए अभियान चला रहा है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से हम इसके लिए अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। अब दिल्ली, महाराष्ट्र या जितने भी बड़े शहर हैं, उन सभी को जल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)*

MR. SPEAKER: It is a Cabinet system of Government, and he has a right to do it.

...(*Interruptions*)

* Not recorded

MR. SPEAKER: Please do not do it. It is not fair. No, this will be deleted forthwith.

...(*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, he is giving a very good reply. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It is a Cabinet system of Government. What is wrong if they talk among themselves?

...(*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी को हम भी जानते हैं और वे हमको भी जानते हैं। हम 1980 से बिहार सदन के विधायक रहे हैं। ...(व्यवधान) हम उनके पहले से सदस्य रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: हम उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन वे बोले इसलिए हम बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे तो आपको डायवर्ट करना चाहते हैं।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have allowed additional Members to put queries to the hon. Minister under this Calling Attention as it is a very important issue.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय: आप यह छोड़िये। सारी बातें आपकी पसंद की होंगी, यह तो ठीक नहीं है। क्या आपकी बात सबको पसंद है?

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please do not bring in State politics here.

...(*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रोग्राम है कि कैसे अंडरग्राउंड वाटर, जहां अतिदोहन हो रहा है और जहां दोहन होने के बाद जल स्तर नीचे चला गया है, का बचाव किया जाये, इसके लिए यूपीए गवर्नमैंट ने कमर कसकर, मजबूती से तैयारी करके दस हजार करोड़ रुपये की स्कीम बनाई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 300 करोड़ रुपये देकर वाटर बॉडीज को जिंदा करने का काम किया जा रहा है। इससे आगे वर्षा जल संचयन के अभियान को स्कूल, कालेजों, गांव, गलियों में चलाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा पार्टीसिपेशन महिलाओं का है। उनकी जन-जागरुकता अभियान में बड़ी भागीदारी है। इसके लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज और वर्षा जल संचयन और अन्य जो हमारे माध्यम हैं, उससे उत्तर और दक्षिण में जहां भी पानी की लेयर कम है, उसे सुनिश्चित करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं और सबका इसमें सहयोग ले रहे हैं। जहां तक नदियों को जोड़ने का सवाल उठाया गया है, तो यूपीए गवर्नमैंट ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इसके लिए अपना प्रोग्राम बनाया है। उसे टॉप प्रायरिटी दी है और कहा है कि देश की नदियों को जोड़ने में हम अहम भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए वर्ष 1980 में तैयारी की गयी थी और वर्ष 1982 में एक कमेटी बनायी गयी थी। वर्ष 2004 में उसकी रिपोर्ट ले ली गयी। इसके तहत केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। यह यूपीए गवर्नमैंट में हुआ है। यूपीए गवर्नमैंट की मान्यता है कि हम सिर्फ देश की नदियों को ही नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम राज्य की नदियों को भी जोड़ेंगे। यूपीए सरकार में माननीय प्रधान मंत्री जी तथा सोनिया गांधी जी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में योजना बनाई है, उसके प्रथम चरण में बिहार की छः नदियों और महराष्ट्र की 15 नदियों को जोड़ने की योजना की संभावता रिपोर्ट बनाने की प्रस्ताव है। इसलिए आज देश और राज्य की नदियों को जोड़ने का सवाल, गिरते हुए भू जल के लिए अवेयरनेस पैदा करना, इसके लिए तकनीकी सलाह लेना ...(व्यवधान)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Calling Attention was regarding the fall in the level of ground water. ...(*Interruptions*)

MD. SALIM (CALCUTTA – NORTH EAST): It was regarding the depleting ground water level in the country. ...(*Interruptions*)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : इसके लिए वैज्ञानिकों की सलाह लेना और सदन में सब लोगों का सहयोग लेकर इन कामों को हम अमलीजामा पहनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Hon. Minister, I wish to compliment you on your very good reply.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It is good that you have not got distracted by all the interruptions.

...(*Interruptions*)

11.50 hrs.